निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -82/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क.नि.)-द् वतीय, वा णज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क.नि.)- द् वतीय वा णज्य कर, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री नि खल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 21.09.2017 से 03.10.2017 तक श्री हिमांशु म ण लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एन.के. श्रीवास्तव एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री नि खल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक. 06.01.2017 से 16.01.2017 तक श्री एन.के. सन्हा वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः –क्रयाकलाप- राजस्व संग्रह, आढ़त बाजार

(ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	3798.00
2015-16	5696.00
2016-17	4913.00

(ii)(स) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्य र्पत रा श
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता है।					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वत्त स चव **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

3. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में डप्टी क मश्नर (क.नि.)- द् वतीय वा णज्य कर, देहरादून को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क.नि.)- द् वतीय, वा णज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह ..... को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर सं.01- ब्याज की धनरा श वसूल न कया जाना `1.12 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नहीं कया जाता है तो ऐसी धनरा श पर जमा करने के दिनांक तक 15 प्रतिशत वा र्षक ब्याज देय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-द् वतीय वा णज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्न ल खत क मयां पाई गईः-

(i) व्यापारी सर्व श्री गोयल आयरन एण्ड टिम्बर सेल्स कम्पनी (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) के कर निर्धारण आदेश में `1,07,195/- की मांग निकाली गई जो क व्यापारी का स्वीकृत कर था जिस पर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की ति थ तक ब्याज भी आरोपणीय था। व्यापारी द्वारा कर की धनरा श `1,07,195/- दिनांक 12.08.2016 को जमा कया जिस पर 34 माह 11 दिन का ब्याज `46,049/- जमा नहीं कया गया एवं उक्त बकाया को आर-3 पंजिका से समाप्त घो षत कर दिया गया।

(ii) व्यापारी सर्व श्री शैल इन्टरप्राईजेज देहरादून (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) के ऊपर `1,57,849/- की मांग निकाली गई जो क व्यापारी का स्वीकृत कर था जिस पर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की ति थ तक ब्याज भी आरोपणीय था कन्तु व्यापारी द्वारा कर की धनरा श `1,58,000/- (दिनांक 12.07.2016) ही जमा की गयी जिस पर 33 माह 11 दिन का ब्याज `65,836/- जमा नहीं कया गया एवं आर-3 पंजिका में बकाया की मांग चढाई ही नहीं गयी थी।

इस सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

उक्त प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर सं.-02 कर का अनारोपण `0.29 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(d) प्रावधानों के अनुसार कसी भी अनुसूची से अनाच्छादित वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-द् वतीय, वा णज्य कर, देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री शवा लक ट्रेड लंकर्स प्रा. ल. कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में व्यापारी द्वारा अपने Trading Account में 13.5% की वस्तु निम्न प्रकार से दर्शायी गयी है।

प्रारम्भिक रहतिया	13.5%	`43,39,355/-
क्रय	13.5%	`2,25,71,713.20/-
वक्रय	13.5%	`2,26,04,076/-
अन्तिम रहतिया	13.5%	`40,93,161.93/-

यदि प्रारम्भिक रहतिया एवं क्रय को जोड़ दिया जाए एवं अन्तिम रहतिया को घटा दिया जाये (43,39,355+2,25,71,713.20-40,93,161.93) तो बिना लाभ के 2,28,17,906/- की बिक्री होनी चाहिए थी जब क बिक्री `22604076/- की दर्शायी गयी।

इस प्रकार `2,13,830/- की बिक्री पर कर आरो पत होने से रह गया था। अतः उपरोक्त बिक्री पर 13.5% की दर से `28,867/- का कर आरोपणीय होगा एवं नियमानुसार ब्याज भी देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सू चत कर दिया जायेगा।

उक्त प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर सं.03 कर का न्यूनारोपण `0.18 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(B) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची IIB से आच्छादित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा। साथ ही दिनांक 01.04.2010 से अनुसूची IIB से आच्छादित वस्तुओं पर 0.5% का अतिरिक्त कर भी आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) द् वतीय, वा णज्य कर, देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री महावीर प्रन्टर्स प्रा. ल. कर निर्धारण वर्ष 2010-11 में व्यापारी द्वारा `2,99,92,294.08 की कुल बिक्री स्वनि र्मत प्रन्टेड गत्ते व पेपर बोर्ड के डब्बों की बिक्री की गयी थी जिसमें से `35,00,953.06 पर 4% की दर से कर आरो पत कया गया था जब क उपरोक्त वस्तु पर नियमानुसार 4.5% की दर से कर आरो पत होना चाहिए था।

अतः इस प्रकार `35,00,953.06 पर 0.5% की अतिरिक्त दर से `17,505/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर सू चत कर दिया जायेगा।

उक्त प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-33/2015-16	-	02,03,04
CT-33/2016-17	-	01,02,03,04,05,06
CT-41/2008-09	01,02,03	01,03
CT-29/2009-10	01	01
CT-34/2010-11	-	01,03
CT-19/2011-12	01	01,03,04,07,09
CT-01/2012-13	01,02,05,06	01
CT-04/2013-14	-	01,STAN-01,02,03
CT-23/2014-15	01	01,02,03,04,05

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी क मश्नर (क.नि.)-द् वतीय, वा णज्य कर, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   भाग-2 ख प्रस्तर सं. 01,02,03

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजेश गल	डप्टी क मश्नर
(ii)	श्री अजय कुमार	डप्टी क मश्नर
(iii)	श्री रजनीश पशवस्थी	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क.नि.)- द् वतीय, वा णज्य कर, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -82/**2017-18**

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र